

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह(पुलिस) अनुभाग-1

संख्या: 4021 / छ:-पु-1-08-115 / 2008

लखनऊ: दिनांक: 02, दिसम्बर 2008

प्रथम संशोधन

संख्या: 352 / छ:-पु-01-09-115 / 2008

लखनऊ: दिनांक: 20, मई 2009

द्वितीय संशोधन

संख्या: 100 / 6-पु-1-11-115 / 2011

लखनऊ: दिनांक: 14, जनवरी 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5, सन् 1861) की धारा 46 की उपधारा (3) और धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011

भाग-1 सामान्य

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सामान्य संशोधन | 2. | उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में शब्द "नागरिक पुलिस" शीर्षक और पार्श्व शीर्षक सहित, जहाँ कहीं आए हो के स्थान पर शब्द "पुलिस" रख दिया जायेगा। |
| सेवा की प्रास्थिति | 2. | उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा एक सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट है। |
| परिभाषाएं | 3. | जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :- |

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 से है।
- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य सेवा में आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के लिए पुलिस अधीक्षक से है।
- (ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है।
- (घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।
- (ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है।
- (च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।
- (छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।
- (ज) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है।
- (झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।
- (ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से ही है।
- (ट) "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।
- (ठ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा से है।
- (ड) "चयन समिति" का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है।
- (ढ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

पदों का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
आरक्षी	71,239	12,863	84,102
मुख्य आरक्षी	10,356	6,637	16,995

परन्तु यह कि -

- (एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के

पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

भाग—तीन—भर्ती

- भर्ती का स्रोत
- 5 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:—
1. आरक्षी— आरक्षी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी।
 2. मुख्य आरक्षी— मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती पात्र आरक्षियों के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा एवं 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी।
- 6 अनुसूचित जातियों—अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।
- परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

भाग—चार—अर्हताएं

- राष्ट्रीयता
- 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:—
- क. भारत का नागरिक हो या
 - ख. तिब्बती शरणार्थी हों जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या
 - ग. भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो,
- परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र

जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा

और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

- | | | |
|---------------------|----|--|
| शैक्षिक
अर्हता | 8 | आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। |
| अधिनामी
अर्हताएं | 9 | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-
(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
(3) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
टिप्पणी:- उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में नियम-15(च) के अधीन वरीयता दी जायेगी। |
| आयु | 10 | आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो,
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय। |
| चरित्र | 11 | सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे। |

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक 12 सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न प्रास्थिति होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियों जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक 13 किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा स्वस्थता जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए।

टिप्पणी :- चिकित्सा बोर्ड नाक—नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रि नेज परीक्षण, वेब्सर्स परीक्षण और वर्टिगों परीक्षण आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

भाग—पाँच—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों 14 नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की का अवधारण संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिसूचना की जायेगी :-

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार—पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यम से ।

आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15 आरक्षियों के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी—

(क) आवेदन पत्र

(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है।

(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ.एम.आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।

(तीन) आवेदन पत्र ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा।

(चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन पत्र में स्थान होगा।

(पाँच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा।

(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/ डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर कय किया जा सकेगा।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा— आयु, लिंग, शैक्षिक अर्हता, श्रेणी, अधिमानी अर्हता, राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक और अपना निवास स्थान का उल्लेख, ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में विहित स्थान पर करेगा। अभ्यर्थियों से ओ.एम.आर. को भलीभाँति भरकर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। आवेदन पत्र उसी डाकघर, बैंक में जहाँ से उन्हें खरीदा गया है, जमा किये जायेंगे। उपर्युक्त अर्हता विवरण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही टीम द्वारा संवीक्षा के समय शारीरिक मापदण्ड परीक्षण के स्थान पर मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक मापदण्ड परीक्षा संचालित करने वाली अधिकारियों की टोली सुसंगत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों को स्वीकार करेगी और जमा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान और संवीक्षा भी करेगी जो कि अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किये हैं और इन सभी दस्तावेजों को भर्ती की प्रक्रिया की समाप्ति पर अपने पास रखेगी और भविष्य में पुष्टि और प्रलेखीकरण के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सौंप देगी।

(ख) बुलावा पत्र

बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के

पश्चात् कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहाँ से आवेदनपत्र क्य किये गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार विमर्श के पश्चात् बुलावा पत्र भेजने के किन्हीं अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/ परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा।

(ग) शारीरिक मानक परीक्षा :-

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा :-

ऐसे अभ्यर्थियों जो नियम 15 (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये हों, से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-2 में दी गई है।

(ड.) लिखित परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गई है।

(च) अन्तिम चयन सूची-

लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के प्रत्येक श्रेणी की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गयी सूची को बोर्ड द्वारा अपनी संस्तुतियों के सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा और चरित्र/अभिलेख पुष्टि के अधीन होगा। यह सूची विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय के लिए अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा कोई भी परीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी। इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वे सफल हुए हैं या विफल सभी अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची और अंकों का विखण्डन वेबसाइट/नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जायेगा और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा जिससे अभ्यर्थी अपनी योग्यता स्वयं समझ सकें। बाहरी स्रोत अभिकरण अपेक्षित साफ्टवेयर को विकसित करेगा जिससे क्षैतिज और उर्ध्वाधन आरक्षण से सम्बन्धित पहले से परिभाषित मानकों के आधार पर पूर्ण

अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार श्रेष्ठता सूची बनायी जा सके। तदनुसार जनपदवार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची बाहरी स्रोत अभिकरण द्वारा तैयार की जायेगी। बाहरी स्रोत अभिकरण सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को उपलब्ध करायेगा जिस पर उस पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे वह जिलेवार और श्रेणीवार चयन सूची उत्तरपुस्तिकाओं के साथ बोर्ड के अध्यक्ष को मुहरबन्द लिफाफे में प्रेषित करेगा।

नोट:— यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर—बराबर औसत अंक प्राप्त करते हैं तो नीचे उल्लिखित क्रम में श्रेष्ठता सूची को अन्तिम करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेंगे :—

(एक) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो प्रादेशिक सेना में, न्यूनतम दो वर्ष तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। जिस अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हता है तो इस खण्ड के अधीन केवल एक अधिमानी अर्हता की गणना की जायेगी।

(दो) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी जिनको बराबर—बराबर अंक प्राप्त हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी, जो आयु में अधिक हों।

(तीन) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी जिनको बराबर—बराबर अंक प्राप्त हों जिनकी जन्मतिथि समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो अभिरुचि परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त किया हो।

टिप्पणी:— अभी भी दो या दो अधिक अभ्यर्थियों जिनके बराबर—बराबर अंक, अधिमान अर्हता, जन्मतिथि और अभिरुचि परीक्षण में समान अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले हो।

(छ) चिकित्सा परीक्षण:—

नियम-15 के खण्ड(च) के अधीन बोर्ड से प्राप्त अन्तिम चयन सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित हों। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम-13 के अधीन चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गई है। चिकित्सा परीक्षण में अभ्यर्थी के स्वस्थता का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

- 16 नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र पुष्टि पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के चरित्र की पुष्टि/प्रशस्ति पत्र यथासम्भव एक महीने के अन्दर पूर्ण की जायेगी। नियुक्ति पत्र के जारी करने के पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के परिवेक्षण के अधीन चरित्र पुष्टि पूर्ण की जायेगी। चरित्र पुष्टि के दौरान चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में संलग्नक फार्मेट पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो फोटो और दिये गये स्थान पर दायें ओर बाँये अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में दिये गये सुसंगत स्थान पर पूर्ण रूप से अपना स्थायी पता और पत्राचार पता के साथ तहसील,

विकासखण्ड, ग्राम, डाकघर और पिनकोड को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।

- मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगी :-
- (क) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियाँ विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी। केवल ऐसे आरक्षी जिनकी परिवीक्षा अवधि को छोड़कर न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा हो गयी हो और जिनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण न हुयी हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।
- (ख) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होंगी, सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जाएंगी।
- विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-5 में और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से परिशिष्ट-6 में दी गयी है।

भाग—छः

प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

- नियुक्ति 18 नियुक्ति सूची क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रचलित नियम के अनुसार तैयार की गयी चयन सूची के अनुसार किया जायेगा, जो चिकित्सा परीक्षा में स्वस्थता और अभिलेख/प्रमाण पुं ट के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा नियम 15 के खण्ड (च) के अधीन प्रेषित हो। अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा में अस्वस्थ पाये जाने या अभिलेख/चरित्रपुष्टि में प्रतिकूल तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की अनर्हता के सम्बन्ध विनिश्चय किया जायेगा।
- (क) नियुक्ति के पूर्व, अभ्यर्थी अपेक्षित आयु प्रमाण—पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/प्रादेशिक सेना/कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होम गार्ड सेवा के सबूत का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में जाति प्रमाण पत्र और क्षैतिज आरक्षण में अधिवास प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (ख) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के लिए अपेक्षित हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र, खेल के जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र, जहाँ उर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण का मामला हो वहाँ पर अधिवास और श्रेणी के सबूत के लिए जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित अपने प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रारूप पर दायें और बायें हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अलग-अलग स्थायी पता और पत्राचार

पता, प्रत्येक के साथ डाकघर सहित पिनकोड, विकास खण्ड, तहसील का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक महीने के अन्दर अपनी सेवा/प्रशिक्षण में यागदान देगा, जिसमें असफल होने पर उनका चयन निरस्त समझा जायेगा। परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा है तो इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन बनायी गयी समझी जायेगी।

- | | | |
|-----------|----|---|
| प्रशिक्षण | 19 | परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। |
| परिवीक्षा | 20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। 2. नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। 3. यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकारी न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। 4. ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 5. नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है। |
| स्थायीकरण | 21 | <ol style="list-style-type: none"> 1. उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि— <ol style="list-style-type: none"> (क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये, (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय। 2. जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस |

नियमावली के नियम- 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22 किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

वेतनमान 23 1. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

2. इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए हैं:-
पद का नाम वेतनमान

आरक्षी रू0 3050-75-3950-80-4590

मुख्य आरक्षी रू0 3200-85-4900

परीक्षा 24 (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, अवधि में परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि संतोषजनक परीक्षा अवधि में विफलता के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यदि संतोषजनक परीक्षा अवधि में विफलता के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) किसी परीक्षाधीन व्यक्ति, जो पहले से स्थायी सेवा में हो, के वेतन का विनियमन, राज्य के मामलों में सेवारत सामान्यतः सरकारी सेवकों हेतु लागू सुसंगत नियमों द्वारा किया जाएगा।

भाग-सात-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 25 किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं

किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

- अन्य विषयों 26 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या का विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के विनियमन कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
- सेवा की 27 जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त शर्तों में शिथिलता व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
- व्यावृत्ति 28 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो

आज्ञा से

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-1
सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक परीक्षण	मानक	<p>शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन तीन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-</p> <p>1-परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2-चिकित्सक/क्रीडाधिकारी/राष्ट्रीय कैंडेट कोर अधिकारी 3-पुलिस उपाधीक्षक</p> <p>(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल और सत्यापित फोटो प्रतियों की संवीक्षा करें और ये संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण के स्थान पर ही की जायेगी और यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में दी गयी सूचना और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में कोई व्यतिक्रम हो तो उसकी जाँच की जायेगी। प्रमाण-पत्रों अर्थात् आयु - प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैंडेट कोर/प्रादेशिक सेना/कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण-पत्र, होमगार्ड्स में सेवा करने का प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि अधर्वाधर आरक्षण का दावा किया जाय और आवास प्रमाण-पत्र यदि क्षैतिज आरक्षण का दावा किया जाय जो नियम-15 के खण्ड (क) के उपखण्ड (सात) के अधीन दिया गया हो, की भली-भाँति परीक्षण और मिलान करने के पश्चात् दल सुसंगत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को स्वीकार करेगा और उन्हें अपने पास उस समय तक रखेगा जब तक कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त ना हो जाय। तत्पश्चात् उन्हें भविष्य में प्रलेखीकरण और पुष्टि के लिए नियुक्त प्राधिकारी को सौंप दिया जाय।</p> <p>(2) सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के के सम्बन्धित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।</p> <p><u>सीने की माप :</u></p> <p>सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर (बिना फुलाने पर) और कू से 84 सेंटीमीटर (फुलाने पर) एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर (बिना फुलाने पर) और 82 सेंटीमीटर (फुलाने पर) से कम नहीं होगा।</p> <p>नोट:- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।</p> <p>(3) महिला के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक-</p>
--------------------	------	--

ऊंचाई :

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है।

अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्धित महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजन:- न्यूनतम 40 किलोग्राम

(4) स्टेडियम/पुलिस लाईन में, जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण के लिए अर्हता हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(पांच) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में 200 अभ्यर्थियों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।

(6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमाणों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

7. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-2

सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. परगना मजिस्ट्रेट / डिप्टी कलेक्टर
2. चिकित्सक / क्रीड़ा अधिकारी / राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी
3. पुलिस उप अधीक्षक

- क. पुरुष अभ्यर्थियों से 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।
- ख. शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के सदस्य सुनिश्चित करेंगे किस भी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण जो परीक्षा के लिए अनुसूची के अनुसार उपस्थित हो उसी दिन पूरी जो जाय। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जायेगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले सकता है।
- ग. प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा, और जहां स्टेडियम उपलब्ध न हों वहां शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस लाईन में आयोजित किया जाना चाहिये।
- घ. शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।
- ङ. शारीरिक दक्षता पूर्ण होने पर समस्त सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची उसी दिन दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।
- च. शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।
- छ. शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों के परीक्षण परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाइट यथासंभव नित्य अपलोड की जाएगी।
- ज. शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय स्वस्थता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी।
- झ. शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-3

सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षण

चिकित्सा परीक्षा
परिषद

चिकित्सा परीक्षा परिषद :- लिखित परीक्षा पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों, जो उत्तीर्ण हुए हों और अन्तिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हों, को अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा इस संव्यवहार का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी। यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिए विनिश्चय किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षा में अर्ह होने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाँ कहीं भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

चिकित्सा मैनुअल के
अनुसार चिकित्सकों
द्वारा परीक्षण

- क. चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक-नो, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।
- ख. दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और साथ ही जहां भी संभव हो परिषद की वेबसाईट पर अद्यावधिक किया जाएगा।
- ग. चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।
- घ. चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

परिशिष्ट-4

लिखित परीक्षा

लिखित
परीक्षा

लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/ बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे जहां से बुलावा पत्र भेजा गया था।

- क. दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान, फोटो, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक, जिला का नाम इत्यादि से संबंधित समस्त विवरण बुलावा पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।
- ख. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त करता है तो वह बोर्ड की हेल्पलाईन मोबाइल/ लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।
- ग. लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।
- घ. वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होगी :-
- | | | | |
|----|----------------------------------|--------|---------|
| 1 | सामान्य ज्ञान | 50 अंक | 30 मिनट |
| 2 | आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण | 50 अंक | 30 मिनट |
| 3. | अभिरुचि परीक्षण | 50 अंक | 30 मिनट |
| 4 | बुद्धिशक्ति परीक्षण योग | 50 अंक | 30 मिनट |
| | | 200अंक | 2 घंटे |

टिप्पणी- प्रश्नों का स्तर कर्तव्य संबंधी रूपरेखा के अनुकूल होगा।

- ड. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार करते समय बोर्ड अल्पकालिक सदस्यों, जो विषय विशेषज्ञ हैं, का परामर्श प्राप्त कर सकता है।
- च. प्रश्नपत्रों का खाका बोर्ड के सदस्यों द्वारा बनाया जायेगा। प्रश्नपत्रों के दस सेट बनाये जायेंगे और बाह्य सहायित एजेंसी को दिये जायेंगे।
- छ. एक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की पांच सीरीज दी जायेंगी (सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की शैली के अनुसार)। बाह्य सहायित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्न पत्रों के उत्तर की कुंजी प्रश्नपत्रों के साथ नहीं भेजी जायेगी।
- ज. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्नपत्रों के बण्डल जिलावार/ केन्द्रवार और कक्षवार/ पंक्तिवार भी बनाये जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आस पास बैठने वाले अभ्यर्थियों को भिन्न भिन्न सीरीज के प्रश्नपत्र वितरित किये जाये।
- झ. उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा जिसमें चार विकल्प दिये जायेंगे

- और अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह उनमें से किसी एक को चुने।
- ज अभ्यर्थी का चेहरा प्रवेश पत्र में चिपकाये गये फोटो से अवश्य मिलना चाहिए
- ट. कक्ष अन्तरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी ने अपना नाम, अनुक्रमांक ठीक-ठीक भरा है और ओ.एम.आर.शीट का कोई भी स्तम्भ बिना भरा नहीं है।
- ठ ओवरराइटिंग/ कटिंग या सफेदा के प्रयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में न दी जाय।
- ड. लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 पत्रक तीन प्रतियों में होगा जिसकी मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कापी बोर्ड के अभिलेखों के लिए और दूसरी कापी अभ्यर्थियों के लिए होगा। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के साथ कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनमति होगी।
- ढ कक्ष अन्तरीक्षक के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र देने की अपेक्षा की जाती है कि उनके परीक्षा केन्द्र पर किसी भी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को खाली नहीं छोड़ा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसा किया है तो अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक सहित पृथक-पृथक सम्पूर्ण विवरण लिखित रूप में दिया जाय। ऐसे कक्ष अन्तरीक्षक और केन्द्र अधीक्षक जो जानबूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करते हैं, दण्डित कार्यवाही के भागी होंगे।
- ण लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं/ पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समुचित सुरक्षा घेरे में परीक्षा केन्द्रों की सूची के साथ मुहरबन्द आवरण में बोर्ड के कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।
- त. बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुंचाये जायें और विभिन्न श्रंखलाओं के प्रश्नों के समचित उत्तर अभ्यर्थी को स्वयं अपने अंकों की जानकारी करने के लिए सुगम बनाने हेतु वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाय। यदि कोई अभ्यर्थी यह अनुभव करता है कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे 7 दिन के अन्तर्गत बोर्ड की हेल्पलाइन/वेबसाइट के माध्यम से लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करना होगा।
- थ. उपर्युक्त 07 दिनों के भीतर उत्तर पत्रकों की जांच का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय और अंतिम श्रेष्ठता सूची यथासंभव शीघ्र अवश्य प्रकाशित कर दी जाय। अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के पूर्व सभी आपत्तियों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय।
- द प्रश्न पत्रों को परीक्षा आरंभ होने के एक दिन पूर्व बाह्य एजेंसी और नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन जिले में लाया जायेगा और कोषागार में दोहरे ताले में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में परीक्षा केन्द्र पर लाया जायेगा और परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् उपस्थिति पत्रक और उत्तर पत्रकों के साथ इन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में पुनः कोषागार में जमा करा दिया जायेगा, जहां से नोडल अधिकारी द्वारा ले जाकर बोर्ड के लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।

परिशिष्ट-5

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

क- विषयों/अंको का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:-

क्रमांक	विषय	अंक
1	बुद्धि शक्ति/तर्कशक्ति/ मानसिक अभिरुचि परीक्षण (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50 अंक
2.	भारतीय दण्ड संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस मैनुअल आदि को सम्मिलित करते हुये आधार भूत विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया। (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50 अंक
3	निबन्ध (पुलिस विषयों से संबंधित यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट-15 अंक, वाद का अध्ययन-20 अंक, विवेचना 15 अंक)	50 अंक अर्हकारी
4	सेवा अभिलेख	50 अंक जिसमें से अधिकतम 30 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए, 15 अंक प्रशिक्षण के लिए और 05 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिए। प्रशिक्षण के अंक इस प्रकार विभाजित हैं कि प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए पांच अंक जो अधिकतम 10 हो सकते हैं और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए एक अंक, जो अधिकतम 05 हो सकते हैं। पुलिस संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि वह मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करें,

जिसमें यह शर्त होगी कि एक मास से कम का कोई भी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

अग्रेतर प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और/या अति लघु दण्ड के लिए 01 अंक उपर्युक्त अंकों में से घटा दिया जायेगा। यह देखने के लिए सेवा अभिलेख का भी अवश्य विश्लेषण किया जाना चाहिये कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया था, जो उसकी प्रोन्नति को अनुचित ठहराता है।

ख:— उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और शारीरिक दक्षता परीक्षण

- 5 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्यांकन कराया जाएगा और निबंधों का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/ प्रवक्ताओं/ आचार्यों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।
- 6 शारीरिक दक्षता परीक्षण पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 75 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 45 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।
- 7 नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड इस परिशिष्ट के क्रम संख्या— 1, 2 और 4 में यथा विहित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा यथा प्रकटित श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमांक—1 और 2 के कुल योग स्वरूप उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड इस सूची को विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर देगा।

परिशिष्ट-6

ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

1	शारीरिक दक्षता परीक्षण	पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 90 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 50 मिनट में पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।
2	सेवा अभिलेख	यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मानदण्ड पर आधारित है। कोई आरक्षी जो अन्यथा रूप से पात्र है किंतु यदि उसकी सत्यनिष्ठा गत 5 वर्षों में एक बार भी रोकी गई है तो वह पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा।

संख्या 4021 / छः-पु0-1-08-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेख सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को नियमावली की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ कि नियमावली के अंग्रेजी व हिन्दी अनुवाद को विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड (क) परिनियत आदेश के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 500 प्रतियां शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ
3. पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0 लखनऊ
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) पुलिस मुख्यालय उ0प्र0, इलाहाबाद
5. कार्मिक अनुभाग 1/2
6. भाषा अनुभाग-1
7. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक
8. गृह विभाग के समस्त अनुभाग

आज्ञा से

(सुशील कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव

